प्रेस नोट **13/08/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दहेज हत्या मामले में 05 दोषसिद्ध अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹10,000–10,000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसजे/एफटीसी–1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 13–08–2024 को मु0अ0सं0 446/2018 धारा 304बी,498ए,506 भादवि0 व 324 डीपी एक्ट थाना सरायलखंसी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण राकेश विश्वकर्मा पुत्र केदार विश्वकर्मा, सतेंद्र विश्वकर्मा पुत्र केदार विश्वकर्मा, विद्यावती पत्नी केदार विश्वकर्मा, केदार विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय इंद्रदेव विश्वकर्मा वमीरा देवी पत्नी सतेंद्र विश्वकर्मा समस्त निवासीगण खानपुर मठिया थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹10,000–10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखंसी का सराहनीय योगदान रहा।

मुख्तार अंसारी गैंग का सहयोगी व शातिर अपराधी अमित यादव को दोपहिया वाहन अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अर्न्तगत किया गया कुर्क–

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.08.2024 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–155/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रानीपुर व मुख्तार अंसारी गैंग का सहयोगी अपराधी अमित यादव पुत्र सन्ता यादव निवासी हाफिजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ द्वारा हत्या, लूट, मारपीट, अबैध शस्त्र रखने , हत्या का प्रयास , अनुसूचित जाति के लोगो के साथ मारपीट करने जैसे अपराध कारित किये है। अभियुक्त अमित यादव द्वारा विभिन्नो अपराधो से अर्जित अबैध धन से अपने नाम से मोटर साइकिल स्प्लेंडर प्रो संख्या वाहन संख्या यूपी54एल4357 कीमती 25000 रुपये क्रय किया गया। जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय के आदेश संख्या 1410/2024 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या व202415510001410 अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम दिनांक 06.08.2024 के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को कुर्क किया गया।

अपराधिक इतिहास–अमित यादव पुत्र सन्ता यादव निवासी हाफिजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 1609/11 धारा 147,148,149,323,504,506,452,427 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट, मऊ।
2. मु0अ0सं0 1038/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट, मऊ।
3. मु0अ0सं0 1182/15 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट, मऊ।
4. मु0अ0सं0 1039/16 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना चिरैयाकोट, मऊ।
5. मु0अ0सं0 17/17 धारा 323/506 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट, मऊ।
6. मु0अ0सं0 189/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट, मऊ।
7. मु0अ0सं0 700/15 धारा 302, 120बी, 506 भा0द0वि0 व 7 सी.एल.ए एक्ट थाना चिरैयाकोट, मऊ।

8. मु0अ0सं0 187/17 धारा 110जी सी.आर.पी.सी थाना चिरैयाकोट , मऊ।

9. मु0अ0सं0 177/17 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट, मऊ।

10. मु0अ0सं0 373/19 धारा 307, 427 भा0द0वि0 थाना सरायलखन्सी मऊ।

11. मु0अ0सं0 340/19 धारा 341, 394, 427, 411 भा0द0वि0 थाना सरायलखन्सी, मऊ।

12. मु0अ0सं0 222/19 धारा 392, 34 भा0द0वि0 थाना सरायलखन्सी, मऊ।

13. मु0अ0सं0 15/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायलखन्सी, मऊ।

14. मु0अ0सं0 194/2021 धारा 323, 504, 506, 294, 354 भा0द0वि0 व 3(2) ट एस.सी/एस.टी एक्ट थाना चिरैयाकोट, मऊ।

15. मु0अ0सं0 60/23 धारा 392, 411 भादवि थाना रानीपुर मऊ।

16. मु0अ0सं0 155/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रानीपुर मऊ।

17. मु0अ0सं0 139/24 धारा 303, 317(2), 317(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) ठछै 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर मऊ।

सड़क सुरक्षा अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक यातायात श्याम शंकर पाण्डेय द्वारा यातायात पुलिस टीम के साथ विद्यालयों में बिना फिटनेस के संचालित होने वाले वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान के अन्तर्गत 06 स्कूली वाहनों को नियमानुसार सीज किया गया तथा स्कूली वाहन चालकों/संचालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरुक किया गया।